



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार

14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.,

(U.P. Government Undertaking)

Shakti Bhawan/ Shakti Bhawan Extn.,

14-Ashok Marg, Lucknow - 226 001

संख्या: 1010/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2013-45-मा०सं०(04)/2008(टी०सी०)

दिनांक 27 मई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

स्वेच्छा/आकस्मिकता में उत्तर प्रदेश से बाहर एवं प्रदेश के अन्दर गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में भर्ती होकर करायी गई चिकित्सा/उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सबंध में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2528-औ०स०/2012-11(4) एफ/86(टी०सी०-2010) दिनांक 22.08.2012 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 5830-औ०स०/2008-11(28) एएस/04, दिनांक 31.12.2008 में निहित सी०जी०एच०एस० की दरों को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अंगीकृत किया जाता है।

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित आदेशों के अंगीकरण के फलस्वरूप निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 641/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009-45-मा०सं०(04)/2008 दिनांक 24 अप्रैल, 2009 द्वारा प्रख्यापित चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर-14(स) एवं 15 (क से य) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

वर्तमान नियमावली	संशोधित नियमावली
बिन्दु (14-स) "स्वेच्छा से प्रदेश के बाहर गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भर्ती रहकर इलाज कराने पर सकल चिकित्सा व्यय का 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति ही देय होगा। यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।"	बिन्दु (14-स) "स्वेच्छा/आकस्मिकता में प्रदेश के बाहर गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भर्ती रहकर इलाज कराने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा निगम द्वारा प्रदत्त C.G.H.S. की दरों का 70 प्रतिशत ही देय होगा। यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।"
बिन्दु 15 (क से य) आकस्मिकता में इलाज कराने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में:- यह आदेश उन प्रकरणों से सम्बन्धित है, जिसमें मरीज को जीवन रक्षा के लिए निकटस्थ अस्पताल या ऐसे मेडिकल सेन्टर में भर्ती कराया गया हो जहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं हों और जो ख्याति प्राप्त हो चाहे वह प्रदेश के अन्दर हो या बाहर। आदेश निम्न प्रकरणों में लागू होगा :-	बिन्दु 15 (क से य) "आकस्मिकता में इलाज कराने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में:- यह आदेश उन प्रकरणों से सम्बन्धित है, जिसमें मरीज को जीवन रक्षा के लिए प्रदेश के अन्दर निकटस्थ अस्पताल या ऐसे मेडिकल सेन्टर में भर्ती कराया गया हो जहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं हों और जो ख्याति प्राप्त हो। यह आदेश निम्न प्रकरणों में लागू होगा :-
(क) हार्ट अटैक	(क) हार्ट अटैक
(ख) ब्रेन हैमरेज	(ख) ब्रेन हैमरेज
(ग) गंभीर दुर्घटना जिसमें हेड इन्जरी या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ हो।	(ग) गंभीर दुर्घटना जिसमें हेड इन्जरी या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ हो।
(घ) ऐसी दुर्घटना जिसमें इलाज किसी अंग को काटने या बचाने के लिए किया गया हो।	(घ) ऐसी दुर्घटना जिसमें इलाज किसी अंग को काटने या बचाने के लिए किया गया हो।
(य) ऐसी गंभीर प्रकरण जो तकनीकी जाँच के उपरान्त यह स्थापित करते हैं कि चिकित्सा जान बचाने के लिए आकस्मिकता में कराई गई। (परियोजना के उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रभारी) की संस्तुति पर)।	(य) ऐसी गंभीर प्रकरण जो तकनीकी जाँच के उपरान्त यह स्थापित करते हैं कि चिकित्सा जान बचाने के लिए आकस्मिकता में कराई गई। (परियोजना के उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रभारी) की संस्तुति पर)।

<p>उपरोक्त श्रेणी में ऐसे कोई प्रकरण नहीं आते हैं, जिनका इलाज PLANNED तरीके से कराया गया या COLD SURGERY कराई गई। ऐसी स्थिति में अगर इलाज प्रदेश के अन्दर/बाहर गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में कराया गया है तो अधिकतम 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। ऐसे दावों का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर होगा और प्रतिपूर्ति के अधिकार केवल प्रबन्ध निदेशक में निहित होंगे।</p>	<p>उपरोक्त श्रेणी में ऐसे कोई प्रकरण नहीं आते जिनका इलाज PLANNED तरीके से कराया गया या COLD SURGERY कराई गई। ऐसी स्थिति में यदि इलाज प्रदेश के अन्दर गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में कराया गया है तो चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा, निगम द्वारा प्रदत्त C.G.H.S. की दरों का 70 प्रतिशत ही देय होगा। ऐसे दावों का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर होगा और प्रतिपूर्ति के अधिकार निगमादेश सं० 641/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009-45-मा०सं०(04)/2008 दि० 24.04.2009 के प्रस्तर 16 के बिन्दु संख्या 5.6 तथा 7 के वित्तीय अधिकार में निहित होंगे। कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।</p>
---	---

उक्त संदर्भित चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली-2008 के अन्य समस्त प्राविधान/प्रस्तर यथावत रहेंगे।

3- उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से


संख्या : 1010 (1) मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता/महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/को० स्ट्रे०/मा०सं०/वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को एजेण्डा आइटम संख्या-15 के सन्दर्भ में।
5. सलाहकार (तकनीकी)/(चिकित्सा)/(औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि० (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/(रिफार्म/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य)/(प्रशिक्षण), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
10. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कट फाइल।

संलग्नक : सीजीएचएस की पैकेज दरें

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सक्सेना) 15/13
अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-04)